

:-आदेश:-

राज्य कर अनुभाग-4 उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-रा0क0-4-रिट-74/11-2020-30(22)/10टी0सी0 दिनांक 14.09.2020, द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय/ मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में मोहम्मद जुबैर सदस्य (अधिवक्ता संवर्ग) वाणिज्य कर अधिकरण को विभागीय सदस्यों के बराबर वेतनमान दिये जाने का सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2019 का अनुपालन किये जाने का निर्देश दिया गया है।

श्री मोहम्मद जुबैर द्वारा सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ, फैजाबाद में सदस्य के पद पर दिनांक 27.01.1994 के अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण किया गया है तथा दिनांक 31.12.2011 तक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2, लखनऊ के पद पर कार्यरत रहे हैं। मुख्यालय के पत्र संख्या-2457/20 दिनांक 23.09.2020 के साथ संलग्न एडीशनल कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-204/20 दिनांक 22.09.2020 के परिप्रेक्ष्य में एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.07.2019 के अनुपालन में दिनांक 28.01.1994 से वेतन निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है:-

चतुर्थ वेतनमान रू0 5,900-200-6,700/- में निर्धारित वेतन

1	वेतनमान में दिनांक 28.01.1994 को निर्धारित वेतन	रू0 5,900/-
2	दिनांक 01.01.1995 को देय साधारण वार्षिक वेतन वृद्धि	रू0 6,100/-
3	दिनांक 01.01.1996 को देय साधारण वार्षिक वेतन वृद्धि	रू0 6,300/-
पंचम वेतनमान रू0 18,400-500-22,400/- में निर्धारित वेतन		
1	दिनांक 01.01.1996 को देय साधारण वार्षिक वेतन वृद्धि के फलस्वरूप निर्धारित वेतन	रू0 18,400/-
2	दिनांक 01.01.1997 को देय साधारण वार्षिक वेतन वृद्धि के फलस्वरूप निर्धारित वेतन	रू0 18,900/-
3	दिनांक 01.01.1998 को देय साधारण वार्षिक वेतन वृद्धि के फलस्वरूप निर्धारित वेतन	रू0 19,400/-
4	दिनांक 01.01.1999 को देय साधारण वार्षिक वेतन वृद्धि के फलस्वरूप निर्धारित वेतन	रू0 19,900/-
5	दिनांक 01.01.2000 को देय साधारण वार्षिक वेतन वृद्धि के फलस्वरूप निर्धारित वेतन	रू0 20,400/-
6	दिनांक 01.01.2001 को देय साधारण वार्षिक वेतन वृद्धि के फलस्वरूप निर्धारित वेतन	रू0 20,900/-
7	दिनांक 01.01.2002 को देय साधारण वार्षिक वेतन वृद्धि के फलस्वरूप निर्धारित वेतन	रू0 21,400/-
8	दिनांक 01.01.2003 को देय साधारण वार्षिक वेतन वृद्धि के फलस्वरूप निर्धारित वेतन	रू0 21,900/-
9	दिनांक 01.01.2004 को देय साधारण वार्षिक वेतन वृद्धि के फलस्वरूप निर्धारित वेतन	रू0 22,400/-
10	दिनांक 01.01.2005 को देय साधारण वार्षिक वेतन वृद्धि के फलस्वरूप निर्धारित वेतन	रू0 22,400/-
11	दिनांक 01.01.2006 को देय साधारण वार्षिक वेतन वृद्धि के फलस्वरूप निर्धारित वेतन	रू0 22,900/-

दिनांक 01.01.2006 से छठे वेतनमान रू0 37,400-67,000 + ग्रेडवेतन रू0 10,000/- में निर्धारित वेतन

1	छठे वेतनमान में दिनांक 01.01.2006 को निर्धारित मूल वेतन ग्रेडवेतन सहित	रू0 63,410/-
2	दिनांक 01.07.2006 को देय साधारण वार्षिक वेतन वृद्धि (3 प्रतिशत की दर से)	रू0 65,320/-
3	दिनांक 01.07.2007 को देय साधारण वार्षिक वेतन वृद्धि (3 प्रतिशत की दर से)	रू0 67,280/-
4	दिनांक 01.07.2008 को देय साधारण वार्षिक वेतन वृद्धि (3 प्रतिशत की दर से)	रू0 69,300/-
5	दिनांक 01.07.2009 को देय साधारण वार्षिक वेतन वृद्धि (3 प्रतिशत की दर से)	रू0 71,380/-
6	दिनांक 01.07.2010 को देय साधारण वार्षिक वेतन वृद्धि (3 प्रतिशत की दर से)	रू0 73,530/-
7	दिनांक 01.07.2011 को देय साधारण वार्षिक वेतन वृद्धि (3 प्रतिशत की दर से)	रू0 75,740/-

उक्त वेतन निर्धारण में किसी त्रुटि के कारण अथवा बाद में किसी विसंगति के कारण अधिक भुगतान हो जाने की स्थिति में ऐसी अधिक भुगतान की धनराशि सम्बन्धित अधिकारी से वापस ले ली जायेगी।

तदनुसार सम्बन्धित की सेवापुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टि सुनिश्चित की जाए।

उक्त वेतन निर्धारण आदेश माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पत्रांक-2481/2020 दिनांक 28.10.2020 द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(राजेश कुमार जैन)
सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण,
पीठ-2, लखनऊ।

पृष्ठांकन:स0वा0क0अधि0/ दस-1(क)/वे0नि0/211 /2020, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- माननीय अपर मुख्य सचिव, राज्य कर अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 14.09.2020 के परिप्रेक्ष्य में।
- मा0 अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को मुख्यालय के पत्र दिनांक 16.09.2020 के परिप्रेक्ष्य में।
- श्री मोहम्मद जुबैर, से0नि0 सदस्य (अधिवक्ता संवर्ग) पीठ-2, लखनऊ। पता- बी-1/142 विराम खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।
- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1 लखनऊ। (डी0डी0ओ0 सेवा पुस्तिका सहित) को इस आशय से प्रेषित कि श्री मोहम्मद जुबैर, से0नि0 सदस्य अधिवक्ता संवर्ग के वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय एरियर का भुगतान करने का कष्ट करें तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.07.2019 में दिये गये निर्देशों के अनुसार दिनांक 12.10.2001 से देय एरियर पर 6 प्रतिशत की दर से ब्याज आंकलित करते हुए मुख्यालय प्रेषित करने का कष्ट करें।
- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
- वरिष्ठ सहायक, (लेखा) पीठ-1 लखनऊ।
- वरिष्ठ सहायक रिट, मुख्यालय।
- सम्बन्धित अधिकारी एवं व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

(राजेश कुमार जैन)
सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण,
पीठ-2, लखनऊ।